

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्

MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL

(Estb. on 1-4-1996 U/s 3 of the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)

Tele: (0755) 2767786
Fax : (0755) 2551568
Email: registrar@mpmedicalcouncil.net



F-7, Sanchi Complex,
Opp. Board Office,
Bhopal (MP) 462 016
Web: www.mpmedicalcouncil.net

क०एमपीएमसी/परिपत्र/2०12/3378

भोपाल, दि० 12/07/2012

प्रति,

Registered A/D

अधिष्ठाता, एम० जी०एम० मेडिकल कालेज, इन्दौर.
अधिष्ठाता, गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल.
अधिष्ठाता, गजरा राजा मेडिकल कालेज, ग्वालियर.
अधिष्ठाता, श्याम शाह मेडिकल मेडिकल कालेज, रीवा.
अधिष्ठाता, नेताजी सुभाष चन्द्र बोष मेडिकल कालेज, जबलपुर.
अधिष्ठाता, आर० डी० गार्डी मेडिकल कालेज, आगर रोड, सौरासा, उज्जैन.
अधिष्ठाता, अरबिन्दो मेडिकल कालेज, सांवेर रोड, इन्दौर.
अधिष्ठाता, इन्डैक्स मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, इन्डैक्स सीटी, खुडैल के पास
एन० एच० 59-ए, नेमावर रोड, इन्दौर.
अधिष्ठाता, पिपुल्स मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, भानपुर, करौंद, भोपाल.
अधीक्षक, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, भानपुर करौंद भोपाल.
अधीक्षक, कैंसर हास्पिटल, ईदगाह हिल्स, भोपाल.
संचालक, बाम्बे हास्पिटल, रिंग रोड, इन्दौर.
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन - शाखा इन्दौर, गेटर कैलाश, पलासिया, इन्दौर.

विषय:- स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराये जाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय/चिकित्सा कार्य कर रहे समस्त स्नातकोत्तर चिकित्सक, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा-13 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारित कोई ऐसी डिग्री या डिप्लोमा जो मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान चिकित्सा अर्हता है, का पंजीयन अनिवार्य रूप से मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल में कराने हेतु आबद्ध है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधिनस्थ चिकित्सा कार्य/चिकित्सा व्यवसाय कर रहे समस्त स्नातकोत्तर चिकित्सकों को मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल में अनिवार्य रूप से अपने डिग्री/डिप्लोमा का पंजीयन करवाने हेतु निर्देशित करें ।

(डा०सी०एम०त्रिपाठी)

रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

REGISTRAR

M.P. Medical Council, Bhopal